



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
 <p>21. 7. 2025</p>	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 08/2016 नगर सुधार अधिनियम (GCMS No. 2016/00144)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भोमसिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी तिलक नगर, यारह कजाणी, बीकानेर। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चैयरमेन नगर विकास न्यास, बीकानेर। 2. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर। 3. तहसीलदार नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये राज पैरोकार। <hr/> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्राम मीना) संभागीय आयुक्त, बीकानेर </p>	